कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर

Email : panjiyak8ppp@gmail.com Ph. : 0151-2226570

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/पंविप/5वीं–8वीं/विविध/2019 दिनांकः 06.03.2020

प्रधानाचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त।

केन्द्राधीक्षक
प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020
प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2020
समस्त।

विषयः– प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2020 परीक्षा हेतु केन्द्राधीक्षक के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2020 परीक्षा के लिए केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक नियुक्ति हेतु सामान्य निर्देश निम्नानुसार होगें:–

1. ऐसे परीक्षा केन्द्र जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के परीक्षा केन्द्र है वहॉ कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षा के लिये नियुक्त केन्द्राधीक्षक ही प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5), 2020 परीक्षा हेतु केन्द्राधीक्षक होगें।
2. उक्त परीक्षा हेतु राजकीय उ.मा.वि./मा.वि./उ.प्रा.वि./प्रा.वि. निर्धारित परीक्षा केन्द्र है लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के परीक्षा केन्द्र नही है। उक्त विद्यालयों के संस्था प्रधान ही परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक होगें।
3. उक्त परीक्षा हेतु बिन्दू संख्या 1 व 2 से शेष परीक्षा केन्द्र (निजी विद्यालय) पर राजकीय विद्यालयों के क्रमशः प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक.(मा.शि.),व्याख्याता, व.अध्यापक को उपलब्धता के आधार पर केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया जावें।
4. उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र (राजकीय विद्यालय) पर वीक्षक/पर्यवेक्षक/सहायक कर्मचारी सर्वप्रथम उस विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को ही नियुक्त किया जावें।
5. बिन्दु संख्या 4 के अनुसार परीक्षा केन्द्रो (राजकीय विद्यालय) पर वीक्षक/पर्यवेक्षक/सहायक कार्मिक नियुक्त करने के पश्चात भी अन्य वीक्षक/पर्यवेक्षक/सहायक कार्मिक आवश्यकता है, एवं अन्य परीक्षा केन्द्र (निजी विद्यालयों) पर वीक्षक/पर्यवेक्षक सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र से नजदीकतम राजकीय विद्यालयों के कार्मिको (तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष, व.अध्यापक एवं समकक्ष, व्याख्याता, सभी श्रेणी के शा.शि. /पुस्तकालयअध्यक्ष/प्रयोगशाला सहायक, मन्त्रालयिक कार्मिक/प्रशासनिक अधिकारी, लेखा कार्मिक/अधिकारी एवं अन्य कार्मिक) को ही नियुक्त किया जावें।
6. परीक्षा केन्द्र पर प्रति कक्षा–कक्ष (परीक्षार्थी) न्यूनतम एक वीक्षक नियुक्त किया जावें। 30 परीक्षार्थियों से अधिक प्रति 30 परीक्षार्थियों पर एक अतिरिक्त वीक्षक का प्रावधान किया जावें।
7. एकल वीक्षक वाले प्रति चार कक्षा–कक्षों पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जावें।
8. परीक्षा केन्द्रों पर प्रति 200 परीक्षार्थियों पर एक सहायक कर्मचारी नियुक्त किया जावें।
9. ऐसे राजकीय विद्यालय जहॉ परीक्षा केन्द्र है, उसमें कार्यरत कार्मिकों का स्वयं के विद्यालय में ही परीक्षा कार्य हेतु लगावें। अन्य परीक्षा केन्द्र हेतु कार्यमुक्त न किया जावें।
10. अन्य विद्यालय से परीक्षा केन्द्र पर लगें वीक्षक परीक्षा अन्तराल के दिन अपने मूल पदस्थापन विद्यालय में अपनी उपस्थिति देगें।

(शिव प्रसाद)
पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/पंविप/5वीं–8वीं/विविध/2019 दिनांकः 06.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त।
3. जिला शिक्षा अधिकारी(मु.), मा.शि./प्रा.शि., समस्त।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
5. रक्षित पत्रावली।

पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,
राजस्थान, बीकानेर